

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,  
फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 21 जुलाई, 2016

विषय: जनपद बागेश्वर में कमेड़ीदेवी भन्तोला-स्याकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से रंगथरा-मजगांव-चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.05 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4106/FP/UK/ROAD/17945/2015, दिनांक 29 जून, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद बागेश्वर में कमेड़ीदेवी भन्तोला-स्याकोट मोटर मार्ग के कि०मी० 2.00 से रंगथरा-मजगांव-चौनाला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.05 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ०सी०, दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं आपदाग्रस्त जनपदों हेतु 5.00 हे० तक वनभूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.1 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंसोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०

सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0 वी0) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन-लाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन-लाईन सत्यापित करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक में ऑन-लाईन प्रक्रिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात् म्यूटेशन का विवरण अपलोड किया जायेगा जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन-लाईन किया जायेगा। तत्पश्चात् प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्यः संलग्नकों सहित ऑन-लाईन अपलोड करेगा। जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत् स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन-लाईन/हार्ड कॉपी प्रेषित किया जायेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखा/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(मीनाक्षी जोशी)

अपर सचिव।

संख्या: 783 (1)/X-4-16/1(222)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट, बागेश्वर।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(आर0के0तोमर)

संयुक्त सचिव।